

पत्रांक बि०क०च०आ०-प्र०-3/543/09..... 1213/3116

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
पी०-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

प्रेषक,

सचिव,

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।

सेवा में,

श्री अमर नाथ मिश्र,

सरकार के उप-सचिव,

मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग,

मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, पटना ।

पटना, दिनांक: 30.7.09

विषय: विकास यात्रा-2009 के दौरान प्राप्त आवेदन के त्वरित निष्पादन एवं कार्रवाई पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

प्रसंग: मुख्य मंत्री सचिवालय का संदर्भ सं.-1902930124

महाशय,

मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक-ज.शि.को.(मु.स.)-04/2009-144-वि.या., दिनांक-21.04.09 एवं उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय का संदर्भ संख्या के संबंध में सूचित करना है कि:-

इससे संबंधित सूचना पूर्व में मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक-ज.शि.को.(मु.स.)-04/2009-523-वि.या., दिनांक-06.05.2009 के आलोक में श्री सी. के. अनिल, सरकार के सचिव, मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को आयोग के पत्रांक-बि.क.च.आ.-प्र०-3/543/09-925/आ. के० द्वारा भेजा जा चुका है (पत्र की छाया प्रति संलग्न) ।

अनुलग्नक: यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

Muse
30/7/09
सचिव,

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

Handwritten signature and date

Handwritten date: 31/7/2009

पत्रांक बि0क0न0आ0 प्र0 3/543/09.....

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
पो0 चैटनरी कॉलेज, पटना 1

प्रेषक,
सचिव,
बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
पटना ।

प्रेषा में,
श्री.के.अभिनव,
संस्कार के सचिव,
मूल्य सचिव के जन शिकायत कोषांग,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक:.....

विषय: आरक्षण में अनियमितता बरतने के संबंध में ।
प्रसंग: मूल्यांकन सचिवालय का संदर्भ सं0 1902930266


प्रहाराय,
मूल्य सचिव के जन शिकायत कोषांग मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक-बि.शि. को.(मु.स.)-04/2009-523 वि.य., दिनांक 06.05.2009 एवं उपरोक्त प्रयोगार्थन विषय के संबंध में सूचित करना है कि:-

(क) आलेख श्री मूलानंद कुमार शर्मा, वि.सं. 704, पर आरक्षी अथवा निर्देशक, क्रमांक X-4299 ने, अपने मूल आवेदन पर एवं OMR आवेदन के साथ आरक्षण संबंधी द्विती लेयर में न होने का प्रमाण पत्र अर्जुमंडल पराधिकारी, गदर भुंवर का संलग्न किया था (प्रमाण पत्र जो फोटो प्रति संलग्न)

(ख) विज्ञापन के निर्धारित शर्तों के अनुसार आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु द्विती लेयर में न होने का प्रमाण पत्र बिना पराधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पराधिकारी द्वारा निमित्त होता नहूँए था ।

अतः विज्ञापन के निर्धारित शर्तों का पालन नहो करने के कारण उन्हें आरक्षण का लाभ नहो प्राप्त हो सका और सामान्य क्रांति के अंतर्गत रखा गया जिसका कट ऑफ मार्क्स 233.29 है । इस्का प्राप्तांक कट-ऑफ मार्क्स से कम रहने के फलस्वरूप इस्का चयन नहो हो सका ।

अतुल्यंक: यथावत ।

सचिव,


बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।